

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7]	नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 13—फरवरी 19, 2016 (माघ 24, 1937)
No. 7]	NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 13—FEBRUARY 19, 2015 (MAGHA 24, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई—400001, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

बैंकिंग.आईबीडी.सं. 7721/23.13.047/2015-16—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा 6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाएं :—

“बैंक इन्टरनेशनल इन्डोनेसिया” शब्दों के स्थान पर “पीटी बैंक मेबैंक इंडोनेशिया टीबीके” शब्द होंगे।

एन. एस. विश्वनाथन
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अहमदाबाद—14, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

सं. यू/16/53/2003/मेड-II/गुज.37/जी/पी.टी.एम.आर./एस.एम.सी./डा. रेखा डी पंचोली पी.टी.एम.आर./07—
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 105 के अधीन की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के

आदेश संख्या पी.टी.फाइल यू./13/12/13/2005-पीटीएमआर (मैडी-1) दिनांक 04.08.2008 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर(रों) को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त (गुजरात) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा मूल प्रमाणपत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. रेखा डी. पंचोली	03.01.2016 से	क. शा., लाल दरवाजा
पी.टी.एम.आर.	02.01.2017	सूरत/गुजरात

सन्त राम
राज्य चिकित्सा आयुक्त

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 नवम्बर 2015

सं.1/एनएससी-2014-खंड III-भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में दिनांक 1 जून 2005 की अधिसूचना सं.85 के रूप में प्रकाशित भारत सरकार के दिनांक 1.6.2005 के संकल्प सं.ए-110011/1/2005-प्रशा.1 के अनुसरण में, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में अंशकालिक सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया है।

- (i) डॉ. राजीव मेहता (जन्म तिथि : 08.04.1954), सेवानिवृत्त अपर महानिदेशक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय- 3 नवंबर, 2015 से प्रभावी
- (ii) डॉ. मनोज कुमार पांडा (जन्म तिथि : 01.04.1956), निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली- 6 नवंबर, 2015 से प्रभावी

2. प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा उनकी आयु 65 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो, होगा। अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा सेवा शर्तें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड-(ii) में 10 मई 2006 की अधिसूचना सं. 465 के रूप में प्रकाशित भारत सरकार के दिनांक 8 मई 2006 की अधिसूचना सं.ए-11011/1/2005-प्रशा.1 (खंड-IV) द्वारा शासित की जाएगी। आयोग के सदस्यों का दर्जा भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होगा।

अरुण कुमार यादव
संयुक्त सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 14th December 2015

DBR.IBD.No.7721/23.13.047/2015-16—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made in the Second Schedule to the said Act namely:—

For the words “Bank Internasional Indonesia” the words “PT Bank Maybank Indonesia TBK” shall be substituted.

N. S. VISHWANATHAN
Executive Director

EMPLOYEES’ STATE INSURANCE CORPORATION

Ahmedabad-380014, the 10th December 2015

No. U-16/53/2003/Med.II/(Guj.) 37/G/PTMR/RDP/B.O.Lal./SMC.2014—In Pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to me vide Director General order on File No. Pt.File-U/13/12/13/2005-PTMR-(Med.I.) dated 04.08.2008. I hereby authorized the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with norms w.e.f. The date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Centre	Name of Centre/Place/Dist./State
Dr. Rekha D. Pancholi PTMR	3.1.2016 to 2.1.2017	Br. O. Laldarwaja ESIC, Surat, Gujarat

SANT RAM
State Medical Commissioner

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 12th November 2015

No. 1/NSC-2014-Vol.III—In pursuance of the Government of India Resolution No. A-11011/1/2005-Ad.I dated 1.6.2005 published as Notification No. 85 dated 1st June 2005 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, the following persons have been nominated as part-time Members in the National Statistical Commission, with effect from the date mentioned against each name.

- (i) Dr. Rajiv Mehta (D.O.B: 08-04-1954), Retd. Additional Director General, M/o Statistics & PI w.e.f 3rd November, 2015
- (ii) Dr. Manoj Kumar Panda (D.O.B: 01-04-1956), Director, Institute of Economic Growth, Delhi w.e.f 6th November, 2015

2. The tenure of each Member will be three years or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier. The appointment, tenure and service conditions of the part-time Members shall further be governed by Government of India Notification No. A-11011/1/2005-Ad-I (Vol. IV) dated 8th May 2006 published as Notification No. 465 dated 10th May 2006 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section-(ii). The Members of the Commission will have the status of a Secretary to the Government of India.

ARUN KUMAR YADAV
Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016
www.dop.nic.in